मार्गदर्शक सिद्धान्त

सत्र 2006 - 2007
कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांढरी मंजिल, भोपाल - 462004

क्रमांक / 155/507/आई.वि / शाखा - 1/2006,
भोपाल, दिनांक 02-06-06

मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों
की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए
मार्गदर्शक सिद्धांत सन 2006-2007

1-प्रवृत्ति

यह मार्गदर्शन सिद्धांत मध्यप्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय (अन्नूदान प्राप्त
एवं अन्नूदान अन्नूदान) महाविद्यालयों में प.ग. विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र 1973 के अन्तर्गत आधारित क्रमांक - 6 एवं 7 के
प्रारंभ के तहत सार्वजनिक करते हुए लगभग तथा समस्त प्रारंभिक इकाई पालन सुनिश्चित करेंगे। ये निर्देश
विश्वविद्यालय / समस्त महाविद्यालयों के उन पाठ्यक्रमों के लिए लगभग होगे जिन पाठ्यक्रमों के आधारवेदन नियम
विनियम में प्रवेश पाना हेतु अन्तर्गत उलझे हं।

2-प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना।

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्रावर्तक द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र समस्त प्राप्ति को सहीत
निर्धारित दिनांक तक जमा किये जाएगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
महाविद्यालय के प्रायोजन द्वारा सूचना पत्र के लिये क्रम से क्रम 7 दिन के पूर्व तक होगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंक
सुरक्षा कार्यालय ने विभिन्न जाने की स्थिति में पूर्व संकेत के साथ प्रायोजन के प्रायोजन प्राप्ति अंतिम तिथि प्राप्ति किया जाने
पर बिना अंक सुरक्षा के आवेदन-पत्र जमा किये जाएगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानिक प्रारंभिक अधीन ग्रुप में 31 जुलाई तक प्रारंभ करने तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रारंभ
प्रवेश देने में स्थान होगा। परीक्षा परीक्षण वित्त के द्वारा प्राप्त होनें की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा
परीक्षण प्राप्त होने की तिथि के 10 दिन बाद तक अंक द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किये जाएगे। यदि 31 (सप्ताह
के जितने दिन) अंक में से अंतिम प्रारंभिक अधीन ग्रुप के स्थानान्तरित होने पर
प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दान के साथ उनके पूर्व / पुर्तिज्याम में आबंटित करणे पर सत्ता द्वारा तीर्थ प्रवेश
3.3 पुनरूर्ज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम विधि निर्धारित करना

पुनरूर्ज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों को पुनरूर्ज्ञान के परियोजना घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित व्याख्याताओं के निर्देशों के प्रभावित गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की प्राप्ति होनी, किन्तु वेधिक कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की प्राप्ति होने पर तथा महाविद्यालय में स्थान कितने होने पर प्रवेश दिया जायेगा।

4.4 प्रयासवर्धक / प्रयासकोश प्रथम वर्ष में प्रवेश

पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कैडेट आ 2.2 में लिखित प्रवेश प्रणाली अनुसार निर्धारित विधि तक प्रवेश की प्राप्ति होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक गार्डर्स स्वर्ण तथा 14 अगस्त तक मुक्तिकालीन कस्तोर के अनुसार स्वर्ण को प्राप्ति होने पर तथा निर्धारित प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम विधि महाविद्यालय में पूर्ण परीक्षा फिरणा प्राप्त होने की विधि से 10 दिन तक अथवा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना घोषित होने की तारीख से 15 दिन, जो भी पहले हो सकते हैं, मात्र होगी।

परन्तु यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए हार्ड सेलेक्शन एन्ट्री बोर्ड + माध्यमिक रिति मतदान, माध्यमिक के परीक्षा के जिन छात्रों को पूर्ण परीक्षा की प्राप्ति होगी इसी तरह पूर्ण परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर जन्म को प्रवेश हेतु पूर्ण परीक्षा परियोजना घोषित होने के स्थान से 10 दिनों तक महाविद्यालय में निर्धारित प्रवेश स्थान रिक्त होने तथा गुणानुक्रम में आने पर गार्डर्स द्वारा दिया जा सकेगा।

1- प्रवेश संख्या का निर्धारण

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की युक्ति / प्रवेशमामला में उपलब्ध पक्षण, उपलब्ध साधनों एवं वेतन को उल्लिखित स्वर्ण, आदि के आधार पर प्रायोजन विभाग कक्षाओं के लेखे छात्र संख्या का निर्धारण करने। तथापि जब प्रायोजन का यह अधिकार दूसरे लागू नहीं होता तब, कौनों ही संख्या का निर्धारण शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। विधि प्रत्यायक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में दर्शाला द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधिकतम।

विश्वासियों का ही प्रति संस्करण में प्रवेश गणनाकुम्र के आधार पर दिया जाता। संबंधित विषयक प्रयोग
स्वरूपी महाविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश कक्षा के लिये अध्यायन के विषय / विषय समूह
का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में
निर्धारण प्रवेश संस्था के अनुसार ही प्रवेश कक्षा में आवेदन को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची

प्राचार्य द्वारा, प्रवेश शुल्क भरने की निधारित अंतिम तिथि की सुचना दी गई है। प्रवेश देने के लिए विद्यार्थियों
की अहंकारी परीक्षा में ग्रांटांकियों एवं जहां अधिभाष देता है, वहां अधिभाष देकर कुल प्राप्तांकों की गणनाकुम्र सूची प्रतिवत
शीर्ष ग्रहित, सुचना पत्र पर लगाई जायेगी। प्रवेश सूची द्वारा आवेदक स्वयं प्रवेश पत्र की प्रतिवतों को सूत्र प्रवेश
विषयों से निर्धारित प्रवेश प्रवेश करने एवं जहां प्रवेश देना हो, स्वायत्तता प्रवेश पत्र की मूल प्रति ही प्रवेश करने
पर शुल्क जमा चाहिए की अनुमति दी जायेगी।

निर्धारित शुल्क भरने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पावरता स्वायत्तता प्रवेश पत्र
की मूल प्रति के निर्देश की सीता तदरबुर अनुप्रस्थ व टेकदर पर निर्धारित कर दिया जाये। वर्तमान प्रवेश सूची की शुल्क भरने
पर शुल्क जमा करने की अनुमति द्वारा 100 जनभागीदारी मर सेट प्रवेश पत्र किया जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पावरता प्रवेश
की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अंतिम तिथि के बाद्र प्रवेश पत्र नहीं भरा जाता है तो प्रवेश निर्देश माना जाता।

5. प्रवेश की प्राप्ति

5.1 निवासी हो अहंकारी परीक्षा

(5) म. प. के मूल। स्वायत्य, न. प. में स्वायत्य समस्तिकारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय
कामगारी, राष्ट्रीय वृक्षों को भारत सरकार द्वारा संचालित व्यापारिक सेवाओं के कार्यालय
जिन्हें प्रदक्षेण म. प. में हो, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जाम्मु काश्मीर के विद्यार्थी / भूतान के लूटी की
तथा उनके अन्य अन्य वास्तविक परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। अप्रेशा नुसार प्रवेश देने के पावरता भी
स्वायत्तता रिक्त होने पर अन्य स्वायत्तता के वांई एवं अहंकारी परीक्षा सीमा प्रविभाग विद्यालयों को सूची नुसार
गणनाकुम्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(५) संख्यात्विभाग या संख्यात्विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों / महाविद्यालयों और
विद्यालयों की अहंकारी परीक्षा प्रवेश आवेदन को ही महाविद्यालय में प्रवेश की प्राप्ति होगी।
5.2 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किंतु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों की विभाग संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विभाग संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृहविभाग संकाय में प्रवेश दिये जा सकेंगे।

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण छात्रों की बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष जीव विभाग सामूहिक में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) बी. कॉम. एम. कॉम.
बी.एस.-सी.
बी.एच.एस.-सी.
बी.एस.-सी. (गृह विभाग)
(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की
5.4 विधि संकाय में नियमित प्रवेश

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की विधि स्नातक प्रयोग वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रयोग वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रश्न / द्वितीय एवं एल.एल.प्रम. पूर्वांक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कम्पाइ. एल.एल. बी. द्वितीय, द्वितीय एवं एल.एल. प्रम. उपरांत में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 विधि संकाय में प्रवेश हेतु अन्तर्गत परीक्षा में न्यूनतम आंक सीमा

(क) विधि स्नातक प्रयोग वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम आंक सीमा यदि प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तक उसी प्रतिशत परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता तब स्नातक अंकविद्या कक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हुए। विधि स्नातक प्रयोग वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति / निष्कर्ष वर्ग के विद्यार्थियों को न्यूनतम आंक सीमा में 85 प्रतिशत की प्रवेश सीमा जाते हैं।

(ख) विधि स्नातकोत्तर प्रयोग वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम आंक सीमा 60 प्रतिशत रहेगी किन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति / निष्कर्ष वर्ग के आवेदकों को पात्रता हेतु नियमित प्रवेश इस सीमा में 5 प्रतिशत की प्रवेश सीमा जाते हैं।

6- समकक्ष परीक्षा

6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ फीडमेंटल एजुकेशन (सी.बी.एफ.आई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडियेट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाओं म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की परीक्षाओं म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष माना है। प्राचार्य मान्यता के बाद सभी समकक्ष विकल्पी ज्ञान कर सकते हैं।

6.2 सामान्यत: भारत में स्थित विकल्पी ज्ञान को भारतीय विकल्पी ज्ञान संस्थाओं (एसएस.एस.एफ. इंटरमीडियेट बोर्ड) के सदस्य हैं। उन्होंने समकक्ष परीक्षाओं म. प्र. के विकल्पी ज्ञान की परीक्षा के समकक्ष माना है।

6.3 संबंधित विकल्पी ज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक या विकल्पी ज्ञान संस्थाओं की सूची एवं विकल्पी ज्ञान अनुसूचित आयोग द्वारा सलाह-समायोजन के ज़रिए फ़ॉर्म अदाया मान्यता विभाग विकल्पी ज्ञान विकल्पी ज्ञान संस्थाओं जिनकी परीक्षा / आयुष्मान मान्यता नहीं है की जानकारी प्राप्त अनुसूचित विकल्पी ज्ञान से प्रवेश करें।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकल्पी ज्ञान प्राप्त ज्ञान संस्थाओं में प्रवेश से समय तक ज्ञान जारी देते हैं।
7. बाहरी आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर का श्री. प्र. / श्री.काम. / श्री.सक्सेसी. / श्री.एच.एस.सी. में स्नातकोत्तर पादयोग्यता लाभ होने से प्र. के किसी भी विष्वविद्यालय / स्वायत्त महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का क्रमशः हिन्दी/तुर्की वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु स्वर्णविंदुत विष्वविद्यालय / स्वायत्त महाविद्यालय में पढ़ने जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पितृजीव परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के प्रवाह तिथि नियमित प्रवेश दिया जाये। आवेदक को ही विष्वविद्यालय से प्रवेश प्राप्त अवश्य लिखा जाये।

7.2 प्र. के बाहर रिहूत विष्वविद्यालयों / स्वायत्त महाविद्यालयों से स्नातक - स्तर की प्रथम वर्ष म.प्र. के अन्य / विष्वविद्यालयों / स्वायत्त महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तुर्की क्रेजेस्टर परीक्षा द्वारा विद्या स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विष्वविद्यालयों से प्रवेश प्राप्त पत्र प्रस्तुत करने के प्रवाह तिथि ही अन्तिम मिनट / विषयों / विषय समूह की अन्तिम कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

7.3 विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्थायी आवेदकों को स्थान रिहूत होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व मत्रों को 30 नवम्बर कल तक, नियरिहूत शुल्क लेकर मान्यता प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करने के अनुसार प्रवेश दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विभागों को प्रवेश हेतु नियमित अन्तिम तिथि के पूर्व अवसर तिथि हेतु अन्तिम तिथि हेतु अन्तिम तिथि हेतु अन्तिम तिथि हेतु अन्तिम तिथि हेतु अन्तिम तिथि हेतु अन्तिम तिथि हेतु अन्तिम तिथि हेतु
8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रश्न / दिशाव / वृत्तिय में पूरा / उल्लेखित प्रश्न अथवा प्रश्नों को अभावी कक्षा में अस्तित्व प्राप्त करने की प्रशंसा होगी।

8.3 विद्यालय प्रश्न / दिशाव में निर्धारित इंटरमेट 48 प्रश्न ही पूरा करने को लेकर या पूरा प्रश्न आवेदकों को अपनी कक्षा में अस्तित्व प्रश्न की प्रशंसा होगी।

8.4 उपरोक्त कारकिया 7 के अनेक 1 इंट 2 के आवेदक को अस्तित्व प्रश्न की प्रशंसा नहीं होगी।

8.5 पूरा पत्र भेजने के अनुसार अस्तित्व प्रश्न 10/ 10 अंकों का अस्तित्व प्रश्न 8/ प्रतिशत हो जावेगा। उत्तर देने पर अस्तित्व प्रश्न, नियमित प्रश्न के रूप में गणना नहीं किया जाएगा।

9- प्रवेश हेतु आर्थिकों

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विद्यार्थी विधियां के किसी संबंध की कक्षा में एक बार निर्धारित प्रश्न रेखा प्रश्न के अनुसार होने / अवधारणा भेज देने / अनुसूची होने वाले दान / खर्च देने का अस्तित्व को अस्तित्व नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व रूप में अवधारणा रेखा में नियमित प्रश्न नहीं दिया हो तो उसे आवेदक निर्धारित प्रश्न हेतु अनेक नहीं माना जायेगा। उसे भारत स्वतंत्रता प्राप्ति पत्र का स्थापना पत्र द्वारा उक्त हो जिससे रिपोर्टिंग हो कि पूर्व में उससे प्रश्न नहीं दिया है। इस आदेश पर ही निर्मम रूप से प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिन आवेदक के विवेक-न्यायालय में दानादान प्रश्न हेतु भेजा गया हो / या न्यायालय में अपराधिक प्रश्न नहीं रखे हो, पत्रीया में या लेख में छात्र / अधिकारियों / वर्तमान कार्य में दुर्योग / गंभीर करणे के लिए आवेदन हो / उक्त दान के बाद भी सुधार परिवर्तित नहीं हुआ हो तो ऐसे छात्र / खर्चाओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्रश्न दी गई है।

9.3 महाविद्यालय में तीसरे चरण तथा भारत स्वतंत्रता प्राप्ति को सम्पूर्ण करने वाले / तेजी के अवधारणा / अवधारणा को प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।

9.4 (क) स्नातक बूढ़ा प्रवेश वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर सरार पर प्रवेश वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की प्रशंसा नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की रिपोर्ट में ही जायेगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यालयों में नियमित प्रश्न किसी पत्र नहीं महिलाओं अधिकारी को उपरांत अनुसरण का कोई खारिज नहीं होगा।

(ख) आयु सीमा का यह वेबस्टी किसी भी वर्ग यश रहकर / भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा निर्धारित संसाधनों द्वारा प्रभावित अथवा अनुश्रुत प्रश्न भी, भारत सरकार द्वारा प्रभावित अथवा वित्तीय संसाधनों से अवधारन हेतु सौंपे गये अध्ययन विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों के लिये वित्तीय सुरटा में पेमेंट टीटर पर अवधारन करने वाले पत्रों पर किया जा सकता है।
(8)

(9) विधि संग्रह के निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
(10) योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
(11) अनुसूचित जाति / अनुसूचित अन्तर्जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकल्प विद्यार्थियों को अधिकारित आयु सीमा में 3 वर्ष की छुट प्रदान की जायेगी।
(12) निर्धारित वर्ष के आवेदकों को स्नातक क्षेत्रों में प्रवेश की अधिकारित आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्नातकोत्तर क्षेत्रों में 35 वर्ष होगी।
(13) 40 से 50 प्रतिशत विकल्पात्मक वाले आवेदकों को विद्यालय हेतु अधिकारित आयु सीमा स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 30 वर्ष ने 03 वर्ष की अनुमित छुट प्रदान की जाए।

9.5 पूर्णकालिक शास्त्रीय / अशास्त्रीय संस्कृति कार्यक्रम को उसकी दैनिक कार्य की अधिक लागे ठहरे महाविद्यालय में प्रवेश की पारत्व नहीं होगी। दैनिक कार्यवाही के उपरांत ठहरे वाले महाविद्यालय में निर्धारित प्रवेश की पारत्व होगी। दैनिक कार्यवाही के उपरांत ठहरे वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा निर्धारित का अनुसूचित प्रमाण का प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी संकाय में स्नातक अधिकार प्राप्त छात्र / छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम ने निर्धारित प्रवेश की पारत्व नहीं होगी।

10- प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उलझा रचनाओं से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निर्माणसार गुणानुक्रम से किया जाएगा।
(29) स्नातक एवं स्नातकोत्तर क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अहसानी परीक्षा से प्राप्त एवं अधिकार देय है तो अधिकार
(30) को स्नातक प्रथम वर्ष में सामर्थ्य किस्मतिविधायक में प्रवेश परीक्षा का प्रवेश हो तो विषयविधायक के अनुसार।

10.2 सामान्य एवं अधिकारी नीति के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11- प्रवेश हेतु प्राधिकारिक

11.1 प्राधिकार क्रम स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राधिकारिक का आधार अहसानी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमम, भूलकृपा नियमसेवा परीक्षायी / स्वास्थ्यकर्मी उत्तीर्ण विधायिकाओं के ग्रामनुसार रहेगा।
(1.2) त्रिविषय स्नातक / स्नातकोत्तर अहसानी परीक्षाओं में प्राधिकारिक का क्रम निर्माणसार होगा - उत्तीर्ण नियमम, भूलकृपा नियमसेवा परीक्षायी, एक विषय में पूरक पारंपरिक स्तर के निर्धारित छात्र / स्वास्थ्यकर्मी छात्र।
(1.3) विधि संकाय की अहसानी कक्षाओं में पूरक पारं प्राप्त छात्रों से पहले उत्तीर्ण परीक्षा 48 प्रतिशत प्राप्त करने वाले
छात्रों को प्राधिकारिक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा अन्य क्रम व्यवस्था रहेगा।
11.4 आवेदक द्वारा सही/हसीन परीक्षा, उत्तीर्ण गटने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान तहसील जिले में स्थित या आसमान के अन्य जिले के समीप/समीक्षा स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुचियत उल्लंघन से पर आवेदकों के आवेदनों पर चिंता करने चाहिए हेतु प्राध्यापक द्वारा अपने महाराजा तहसील जिले की सीमाओं से दूर अन्य जिले के समीप/समीक्षा स्थानों से आवेदन की प्राधिकृतता देते हुए प्रेसिडेंस दिया जाए। आवेदक के निवास स्थान तहसील /जिला में स्थित या आसमान के अन्य जिले के समीप/समीक्षा महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुचियत नहीं होने पर हेतु गुणानुक्रम प्रेसिडेंस दिया जाएगा।

शासन द्वारा संभाल करने पर न्यूनतम उक्त श्रेणी महाविद्यालय में उस संभाल के सभी जिलों के छात्र परिवारों के आधार पर प्रेसिडेंस दिया जाएगा।

11.5 किसी भी विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रेसिडेंस, महाविद्यालय में स्नातक रेटिक रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12- आरक्षण शासन की आरक्षण नीति के अनुसार निवास निर्णय होगा

12.1 अनुपस्थित जानति (अ.जा.) या अनुपस्थित रजिस्ट्रियल अ.जा. (अ.जा.) के आवेदन के लिए 15 तथा 20 प्रतिशत रेटिक आरक्षित होंगे। इन दोनों श्रेणी के स्थान आपस में परिवर्तित किये गये होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी रंग को चोड़कर, के आवेदनों के लिए 14 प्रतिशत रेटिक आरक्षित होंगे।

12.3 सरकारी विभाग/संगठनों में पुरुष/पुरुषीय, पूर्व और पत्नियों की सरकारी सेवा में उत्तराधिकारी विद्यार्थी को प्राप्त अवधि खाली रूप से अपने अवधि सीमा में पुरुष/पुरुषीय, भुगतान तथा सेवानिर्धारण के वर्गीकरण के विरुद्ध कायम रहने के कार्यक्रमों (Defence Personnel) के अभियान को तथा विकास क्षेत्रों के आवेदन के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत रेटिक आरक्षित रखे जाएं।

विकास के आवेदन को प्राप्त कराने के 10 प्रतिशत अभियान के कार्यालय द्वारा, तीन दिन का, परिवर्तित गुरु के विरुद्ध कायम किया जाएं। परन्तु यह आरक्षण रविवार किसी तारीख पर अबतिष्ट करने के लिए आवश्यक नहीं हो जाए।

भारतीय सेना के अवक विकास के सेना कर्मियों/कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता कम संस्थान निर्णय रखेगा।

1. सूची के दौरान बहुत विभागों द्वारा उनके आवश्यक रूप से सामान्य अवधि सेवाएं सीमाना या सीमाना रूप से समान रूप से उनके आवश्यक।
2. सूची के दौरान अध्ययन रूप से 3 विभाग, अध्ययन का रूप से उनके आवश्यक।
3. शासन के दौरान उत्तराधिकारी के अवधि, के आवश्यक।
4. शासन के दौरान उत्तराधिकारी के अवधि, के आवश्यक।
5. निम्नलिखित शीर्ष पदों से सामान्य संस्थान अवधि पूरी तरह से आवश्यक।
चक, सब्जितमुख सेवा मेडल, महावीर चक, कीर्ति चक, उत्तम सेवा मेडल, चोर चक, शूर्य चक, श्रद्धा सेवा मेडल, सेना, नौसेना, वायु सेना मेडल पदों में उल्लेख।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आरोग्य।
7. कार्यरत सैनिकों के आरोग्य।

12.4 निःशक्ति जन श्रेणी के आवेदक के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरोग्य रचे जारि करने पर तुर्य यह आरक्षण उनके संबंधित संरचना के लिए आरोग्य स्थान में ही उपलब्ध कराया जायेगा। निःशक्ति जन श्रेणी के प्रवेश के समय अहिंसादीय अंकों में 5 प्रतिशत की कुंड दी जायेगी।

12.5 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होगे।

12.6 उच्च शिक्षा विभाग, मद्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीन स्तर कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों, प्राध्यापक, प्राप्ति पायें, प्रधानता, कीड़ा अधिकारियों, रसिकपाल एवं शासकीय/ महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/ पुत्रियों के लिए सभी संबंधित संरचना में उपलब्ध स्थानों में से 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखा जाये।

12.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंकों के पाने के कारण सांभाग्य श्रेणी/ ऑपन प्रतियोगिता में नियमानुसार मेरिट सूची में रचा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथाक्रम अप्रभावित रहेगी, परन्तु वही ऐसा विचारण किसी संरचना जैसे मद्यप्रदेश संरचना में आदि का भी है तो संरचना की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संरचना की सीटें भरी जायेगी।

12.8 अस्पताल अनुशासन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं ऐसे पाठ्यक्रमों में जहाँ प्रवेश किसी प्रवेश - परीक्षा वें 5 भाग में मिला जाता है, वहाँ 20 प्रतिशत स्थान गैर अस्पतालिक विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जाए।

12.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 प्रतिशत से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा।

1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.10 प्रवेश की निधनित अंतिम सिद्ध के आवेदक श्रेणी के लिए छात्र/ छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित श्रेणी अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.11 सरकार-सरकार द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार
अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। पाण्डुर्ग प्रतियोगिता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्थशास्त्र नौकरी के प्राप्तिक द्वारा जारी पहले ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रणाम पत्रों पर अधिभाष हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अधिभाष प्राप्त होने पर मात्र संवादित अधिभाष का लाभ देखा होगा।

13.1 
एन.सी.सी. / स्कूल स्कूल को स्कूल / गाइड्स / रेड्जर्स के अर्थ में पढ़ा जाओ।

(क) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. "ड" सर्टीफिकेट 02 प्रतिष्ठाप
(ख) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. "बी" सर्टीफिकेट या द्वितीय सी उलझियाँ स्कूल
(ग) ‘बी’ सर्टीफिकेट या द्वितीय सी उलझियाँ स्कूल 04 प्रतिष्ठाप
(घ) राज्य सत्रीय (सार्वजनिकहीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिष्ठाप
(च) नामिक निर्भरता गणना द्विसंगत घटक वर्ग के म.प. के एन.सी.सी. 05 प्रतिष्ठाप

कार्यान्वयन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को:

(अ) राज्यपाल स्कूल 05 प्रतिष्ठाप
(ब) राज्यसभा स्कूल 10 प्रतिष्ठाप
(च) म.प. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केंडेट 10 प्रतिष्ठाप
(छ) हिन्दू मुस्लिम अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केंडेट 15 प्रतिष्ठाप
(ड) भारतीय तथा अन्य राष्ट्रों के महत्वपूर्ण अन्य प्रमाण 15 प्रतिष्ठाप
(प) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रथम 10 प्रतिष्ठाप

करने वाले केंडेट को अन्तरराष्ट्रीय जानकारी के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को।

13.2 अन्य विषय पाठ्यक्रम में उलझियाँ विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा 10 प्रतिष्ठाप में उसी विषय में प्रवेश होने पर।

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उलझियाँ विद्यार्थियों को एन.एल.बी. प्रथम में 05 प्रतिष्ठाप प्रवेश देने पर।

13.4 खेलकुद / सांस्कृतिक / सांस्कृतिक / विकास / रूपांकन प्रतियोगिताएं।

(1) लोकशक्षण संस्थान नगर प्रशासन के म.प. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अध्ययन केंद्रों विद्यालय एवं अन्य वाणिज्यिक केंद्रों द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में।
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त होने के प्रत्येक सदस्य को - 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले - 04 प्रतिशत को -

(२) उपर्युक्त कंदिका 13.4(१) में उल्लिखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संबंध / राज्य स्तर अथवा केंद्रीय विभाग संचालन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अध्ययन भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.वु.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अध्ययन भारतीय अथवा संस्कृति कार्य संगठन, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में -
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त होने के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत
(ग) संबंध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगियों को - 05 प्रतिशत

(३) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में --
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को - 10 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगियों को - 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूएस अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विभाग / सार्वजनिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं प्रदर्शन करने वाले दल के सदस्यों को -

13.6 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
13.7 जन्म-कस्बीके के विस्तारितों तथा उनके आधिकारिकों को.

13.8 विशेष तथा सामान्य एवं अन्य राज्य तथा सरकार के क्षेत्रों के लिए एवं अलंकरण / अन्य एवं एलियास / स्पोर्ट्स अधिकारी तथा इंडिया एनियालाइज़ेशन द्वारा राज्य एवं अन्य राज्यों में राज्य शासन से मान्यता से प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक होना अनिवार्य होगा।

बाझर दि -

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संरक्षित, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिममानित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उनहीं अध्यापिका को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपनी अभ्यासक भाषा विद्यालय का प्रस्तुत किया है। परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उनके उपलब्ध पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 यथामध्य वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक से प्रमाण पत्र / स्नातकोत्तर प्रमाण या विधि प्रमाण वर्ष में प्रवेश हेतु विज्ञापन लीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अभ्यासक हेतु माध्यमिक प्रवेश जारी किये जावे। स्नातक द्वितीय, तीस्री के स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अधिकारी हेतु माध्यमिक होगा।

14. - संकाय / विषय / गुप्त परिवर्तन

(क) स्नातक / स्नातकोत्तर प्रमाण वर्ण में अहंकारी परीक्षा के संकाय / विषय / गुप्त परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रवेश पत्रों से 5 प्रतिस्पर्धात्मक उनका पुण्यानुकम प्रतिसाधन किया जायेगा। अधिकारी घटे ढूँढ़े प्राप्त किये पर संयोग होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रमाण वर्ण में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / गुप्त परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राध्यापक द्वारा 30 नवम्बर तक या वित्त से गुण्य परीक्षा परिणाम आने पर केंद्रका 2.2 में उल्लिखित प्रवेश की अतिम समय 15
15 - शोध छात्र

शास्त्रीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा। पुलिंकलल / प्राध्यापिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्रारंभिक इस समयवाहिक की अधिकतम 4 वर्ष कर सकते हैं। छात्र निर्देशित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्देशित शून्य जमा करने के बाद निर्देशित प्रतिष्ठा मान्य किया जाएगा। शोध छात्रों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशण हेतु महाविद्यालय में पदधार प्राध्यापक सुपरवाइजर के अनुरोध में विश्वविद्यालय में शाक्तित्त्व कराने अन्वेषण होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार ही अपने कार्यालय संबंधित करें। अध्यापन अवधि के लिए कोई शिक्षक या शोध छात्र के रूप में कार्यरत न हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रगति उपस्थितियों प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन महीने की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होती है पर ही वेतन आह्लादिक करता शिक्षक का वेतन आह्लादित किया जाएगा। महाविद्यालय में पदधार प्राध्यापक सुपरवाइजर के अनुरोध स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र अपना कार्य चालू रख सकते हैं, जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अर्पित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण होने के अपरिहार्य शोध प्रवेश उसी महाविद्यालय के प्रारंभिक करेंगे।

16 - विश्लेषण

16.1 जानकी प्रमाण पत्रों के आदर्श पर / बलत्त जानकारी देकर, आज्ञा सुझावक के विषयों ज्ञात प्राधिक अवधि की स्थिति में सुपरवाइजर का प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

16.2 प्रवेश देने की समस्या कारण पूर्ण अनुमति वा सूचना के बिना, लगातार दो माह या अधिक समय तक प्राप्त होने वाले विषयों का प्रवेश निर्देश करने का अधिकार प्राप्त होगा।

16.3 प्रवेश के बाद समस्त के दौरान की क्रिया 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुसार स्थापित करने का अधिकारी द्वारा प्रवेश निर्देशित करने अथवा उसके निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

16.4 प्रवेश के बाद समस्त के दौरान द्वारा अनुसार स्थापित करने अथवा उसके निर्देशित करने अथवा उसके निर्देशित करने की स्थिति में विषयों का संबंधित निर्देश का अधिकार प्राप्त अथवा कोई शून्य विषय नहीं किया जाएगा।
16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण ने मार्गदर्शन को आवश्यकता होने पर, प्रारंभिक प्रकरण में अभिव्यक्ति से स्पष्ट तीर्थ व अभिव्यक्ति देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र.मोदल से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण का वेबसाइट अप्रेशित हिंदीकर प्रेषित न किया जायें।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्राधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निर्देश / सांलन का पूर्ण अधिकार म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

हस्ताक्षरः
(प्र.डी.आयवाल)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 02-06-06

प्रतिष्ठित

1. निज सचिव, नागरिक मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त उप सचिव/अधिकारी, म.प्र. शासन, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. समस्त कर्मचारी, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कृषि/शास्त्रीय अभिव्यक्ति संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की और सूचनार्थ उनके क्षेत्रगत आयुक्त व शास्त्रीय महाविद्यालयों के द्वारा यह विमलता को विमलता करने हेतु प्रेषित।
6. अभिव्यक्ति संचालक, उच्च शिक्षा शाखा - 13 को अनुसार कृषि महाविद्यालयों का विमलता करने हेतु प्रेषित।
7. समस्त कृषि संचालक, मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय।
8. समस्त अधिकारी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

हस्ताक्षरः
(डॉ. राधाकृष्ण शासन)
अभिव्यक्ति संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश